संख्या-1/2019-2561/चौदह-4-2018-110/2015

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 23 जनवरी, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष-2018-19 में ''बर्ड फेस्टिवल का आयोजन'' योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू० 100.00 लाख की स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-500/36-टी-77 (बर्ड फेस्टिवल) दिनांक 29 नवम्बर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत ''बर्ड फेस्टिवल का आयोजन' योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या-60-	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-	
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110- वन्य जीव परिरक्षण-	
04-बर्ड फेस्टिवल का आयोजन-	
42-अन्य व्यय	100.00
योग:-	**100.00**

(रू0 एक करोड़ मात्र)

1-उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- प्रश्नगत योजना में होने वाले व्यय की कार्यमदों में अतिथियों की टिकटदरों एवं ठहरने के होटल आदि का बिल वास्तविक दर के आधार पर भुगतान किया जाय।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक/डाक घर खाता /डिपाजिट खाता अथवा पी.एल.ए. में आदि में जमा नहीं किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब प्रसतावित कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

6- स्वीकृत धनराशि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं-0पी-500/36-टी-77(बर्ड फेस्टिवल) दिनांक 29 नवम्बर, 2018 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।

7- स्वीक़त धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सम्परिक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किया जाय एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

8- योजना में होने वाले व्यय की कार्यमदों में अतिथियों हेतु निर्धारित एकेमडेशन/टेंट आदि का भुगतान वास्तविक दर के आधार पर किया जाय।

9- अतिथियों के ठहरने की इनर एवं आउटर सिक्योरिटी द्विस्तरीय रहे तथा हाऊस कीपिंग व्यवस्था गुणवत्ता पूर्वक होना सुनिश्चित किया जाय।

10- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

11- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय सक्षम स्तर का नियमानुसार अनुमोदन

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राप्त कर ही किया जाय।

13- प्रश्नगत योजना हेतु शासन के पत्र संख्या-512/14-4-2017 दिनांक 20.03.2018 द्वारा वॉछित अभिलेख/विवरण अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

14- प्रश्नगत योजनान्तर्गत/कार्य के अन्तर्गत हुई प्रगति/व्यय की सूचना/विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसे एक अतिरिक्त बिन्दु के रूप में भी विभागीय वेबसाइट पर इंगित किया जाय तथा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

15- योजनान्तर्गत कार्यो हेतु समय-समय पर निर्गत ई टेंडरिंग विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय संबंधी समस्त कार्य नियमानुसार जी0इ0एम0 पोर्टल् के माध्यम से ही किया जाय।

16- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा ।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या/2018/1-बी/375-1-दस 2018/231-2018- दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित निर्देशों/प्रतिबंधो के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं अत: इनका अक्षरश्: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-2561(1)/चौदह-4-2018 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in